न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 05 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
गोरधनसिंह पुत्र श्री केशराराम कौम जाट निवासी चितरोड़ी (भणियाण) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर		1. सवाईराम पुत्र श्री देवाराम 2. जुंझाराम पुत्र श्री पदमाराम 3. दीपाराम पुत्र श्री पदमाराम 4. राणाराम पुत्र श्री पदमाराम 5. खेताराम पुत्र श्री केशराराम 6. डूंगरसिंह पुत्र श्री हीरसिंह 7. हुकमसिंह पुत्र श्री हीरसिंह कौम जाट निवासी चितरोड़ी (भणियाण) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 8. तहसीलदार भणियाणा जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 29 / 2024 बअनवान सवाईराम बनाम जुंझाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रावल गोदारा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—20.11.2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2024 अनवान सवाईराम बनाम जुंझाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांटस व उत्तरदातागण 2 ता 8 के विरूद्ध मौजा चितरोड़ी पटवार मण्डल भणियाणा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 1144 रकबा 1.1898 हैक्टयर में आने जाने हेतु रास्ता मुझ अपीलांटगण एवं उतरदातागण संख्या 2 ता 7 के खेत खसरा संख्या 1148 व 1143 में से पाने हेतु पेश किया। हस्तगत आवेदन दिनांक 21.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसी दिन विप्रार्थीगण को तामिली नोटिस व सम्मन जारी करने का आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली दिनांक 25.11.2020 मुकर्रर हुई, एवं तामिली नोटिस में उपस्थिति हेतु दिनांक 27.07.2024 मुकर्रर कर नोटिस व सम्मन दिनांक 01.07.2024 को जारी हुए, विप्रार्थीगण को उपस्थित हेतु पेशी दिनांक 27.07.2024 दिये जाने के बावजूद पत्रावली पेशी पर नियत पेशी से दो दिन पूर्व ही रखा जाकर सुनवाई कर बिना अप्रार्थीगण का पक्ष जाने एकपक्षीय मौका रिपोर्ट का आदेश कर दिये गये तथा पत्रावली दिनांक 22.08.2024 को मुकर्रर कर दी गई। अप्रार्थीगण के वकील ने अप्रार्थीगण की ओर से आपति व जबाव तैयार कर उसकी प्रति को प्रार्थी के वकील को दिनांक 22.08.2024 को देकर जबाव न्यायालय श्री को दिनांक 22.08.2024 को पेश कर दिया परन्तु न तो उस दिन पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष आयी न ही आगे कोई पेशी तारीख अप्रार्थीगण व वकील को दी गई। हम विप्रार्थीगण के वकील उपस्थित होने व आपति एवं जबाव पेश करने के बावजूद बिना अप्रार्थीगण व उनके वकील को आगे की पेशी की जानकारी दिये अचानक पत्रावली 20/09 को पेशी पर रखकर संक्षिप्त एवं अपूर्ण व संदिग्ध आदेशिका कायम कर पत्रावली फैसला हेतु मुकर्रर कर विप्रार्थीगण का बिना कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। हस्तगत आवेदन दिनांक 21.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसी दिन विप्रार्थीगण को तामिली नोटिस व सम्मन जारी करने का आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली दिनांक 25.11.2020 मुकर्रर हुई, एवं तामिली नोटिस में उपस्थिति हेतु दिनांक 27.07.2024 मुकर्रर कर नोटिस व सम्मन दिनांक 01.07.2024 को जारी हुए, विप्रार्थीगण को उपस्थित हेतु पेशी दिनांक 27.07.2024 दिये जाने के बावजूद पत्रावली पेशी पर नियत पेशी से दो दिन पूर्व ही रखा जाकर सुनवाई कर बिना अप्रार्थीगण का पक्ष जाने एकपक्षीय मौका रिपोर्ट का आदेश कर दिये गये तथा पत्रावली दिनांक 22.08.2024 को मुकर्रर कर दी गई। अप्रार्थीगण के वकील ने अप्रार्थीगण की ओर से आपति व जबाव तैयार कर उसकी प्रति को प्रार्थी के वकील को दिनांक 22.08.2024 को देकर जबाव न्यायालय श्री को दिनांक 22.08.2024 को पेश कर दिया परन्तु न तो उस दिन पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष आयी न ही आगे कोई पेशी तारीख अप्रार्थीगण व वकील को दी गई। हम विप्रार्थीगण के वकील उपस्थित होने व आपति एवं जबाव पेश करने के बावजूद बिना अप्रार्थीगण व उनके वकील को आगे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की पेशी की जानकारी दिये अचानक पत्रावली 20/09 को पेशी पर रखकर संक्षिप्त एवं अपूर्ण व संदिग्ध आदेशिका कायम कर पत्रावली फैसला हेतु मुकर्रर कर विप्रार्थीगण का बिना कोई पक्ष जाने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2024 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विप्रार्थीगण/अपीलांटस का जबाव रिकॉर्ड पर लिये बिना व अपीलांटगण की बहस को सुने बिना पुरानी मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों का पालन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। आर आई ने मौका रिपोर्ट उतरदाता संख्या 01 से मिली भगत कर एकपक्षीय रूप से तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2022-23(Supp.) Page 200

RRT 2023(1) Page 490

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.09.2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर मौका फर्द दिनांक 12.09.2024 पर आपति प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बताया तथा खसरा नं. 1145 की माठ से सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति प्रदान की। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना तथा उनके द्वारा सुझाये गये रास्ते के विकल्प एवं सहमति बाबत मौका फर्द तलब किये बिना अपीलांट की खातेदारी भूमि में से अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 29/2024 बअनवान सवाईराम बनाम जुंझाराम वगैरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 को निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में विस्तृत मौका फर्द तलब कर तथा अपीलांट/अप्रार्थीगण की सहमति के प्ररिप्रेक्ष्य में मामले का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 दिसंबर 2024 को उपस्थित रहे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर